न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार, R.T.S.
मिसल नं. ::: 15 / 2021

सरकार बनाम महीपाल पुत्र मक्खन, जाति–मेघवाल,
निवासी– डुलानिया

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 30.06.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल महीपाल पुत्र मक्खन, जाति–मेघवाल, निवासी– डुलानिया द्वारा रोही मौजा डुलानिया की राजकीय भूमि ख.नं. 352 कुल रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर फसल कपास काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसका भतीजा अनिल कुमार ने उपस्थिति होकर जवाब हेतु अवसर चाहा। आगामी पेशी पर गैर सायल एवं उसका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 10 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.........04.........पर
वर्ष 2021-22 में रुपये...10/-...कायम किए
राजस्व लेखाकार